तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :- 155 / 2022 विजय कुमार वगै0 बनाम सुशील वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/09/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आ0 आ0 7 नियम 11 सीपीसी पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम / कस्बा झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 2465 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं. 2466 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं. 2467 रकबा 6.27 हे0, खसरा नं. 2482 / 3941 रकबा 0.10 हे0 तथा खसरा नं. 2498 रकबा 0.45 हे0 भूमि को वादीगण ने पैतृक भूमि कथित कर अपने पिता हनुमान द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में हुए विक्रय पत्र को चुनौती दी है। कानूनन कर्ता खानदान द्वारा कराये गये बेचान नामों को राजस्व न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। वादीगण ने पैतृक भूमि के संबंध में भी आवश्यक तथ्य दर्ज नहीं किये हैं। वादी संख्या 1 ने विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संबंध में पहले भी दीवानी अदालत में अलग अलग दो वाद पत्र क्रमशः विजय कुमार बनाम भोजाराम मु0 नं. 1 / 2020 व विजय कुमार बनाम मनीराम मु0 नं0 2 / 2020 प्रस्तुत किये थे जो अदम हाजरी में खारिज हो गये थे। इसलिए वाद कारण दीवानी अदालत को है। दीवानी दावा व वर्तमान दावा की प्लीडिंग में विरोधाभाष है। दीवानी दावा में कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हुए बेचाननामा हनुमान से बहला फुसला कर धोखा देकर व बिना प्रतिफल के करवाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में करवाये गये बेचाननामों को अंदर मियाद चेलेंज नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण का वाद विधी द्वारा वर्जित है। अतः वाद वादी काबिले खारिज है। अप्रार्थी / वादीगण ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वादीगण ने अपनी पैतृक भूमि में अपने हिस्से की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने का नहीं किया है। प्रस्तुत दावे से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाना चाहते है, विवादित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिसका वाद सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मियाद का उल्लेख किया है जो घोषणा के वाद में लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निरस्त योग्य है। वकील उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 29.08.2024 को बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी को वादीगण ने पैतृक भूमि कथित कर अपने पिता हनुमान द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में हुए विक्रय पत्र को चुनौती दी है। कानूनन कर्ता खानदान द्वारा कराये गये बेचान नामों को राजस्व न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। वादीगण ने पैतृक भूमि के संबंध में भी आवश्यक तथ्य दर्ज नहीं किये हैं। वादी संख्या 1 ने विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संबंध में पहले भी दीवानी अदालत में अलग अलग दो वाद पत्र क्रमशः विजय कुमार बनाम भोजाराम मु0 नं. 1 / 2020 व विजय कुमार बनाम मनीराम मु0 नं0 2 / 2020 प्रस्तुत किये थे जो अदम हाजरी में खारिज हो गये थे। इसलिए वाद कारण दीवानी अदालत को है। दीवानी दावा व वर्तमान दावा की प्लीडिंग में विरोधाभाष है। दीवानी दावा में कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हुए बेचाननामा हनुमान से बहला फुसला कर धोखा देकर व बिना प्रतिफल के करवाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में करवाये गये बेचाननामों को निरस्त करवाने हेतु अंदर मियाद सक्षम न्यायालय में दावा नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित है। अधिवक्ता ने अपने समर्थन में नजीरें आर आर डी 1984 पृष्ठ संख्या 482 व 873 व आर आर टी 2021 पृष्ठ संख्या 257 पेश की। जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीगण ने कथन किया कि वादीगण ने अपनी पैतृक भूमि में अपने हिस्से की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है	

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने का नहीं किया है। प्रस्तुत दावे से वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाना चाहते हैं, विवादित भूमि वादीगण की पेतृक भूमि है जिसका वाद सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मियाद का उल्लेख किया है जो घोषणा के वाद में लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निरस्त योग्य है। अधिवक्ता ने अपने समर्थन में नजीरें आर आर टी 2013 (1) पृष्ठ संख्या 29, डी एन एस 2020 (3) पृष्ठ संख्या 849 व आर आर टी 2023 (2) पृष्ठ संख्या 1001 पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी को पेतृक सम्पति बताते हुए खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है जबकि वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में उक्त आराजी चार पीढीयों तक अविभाजित सम्पति रही हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। पत्रावली मे प्रस्तुत सजरा के अनुसार रामू की खातेदारी के दस्तावेज हैं लेकिन रामू के बाद उसके पुत्र माला के नाम खातेदारी आई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं बल्कि विवादित आराजी सीधे हनुमान के नाम दर्ज होने के दस्तावेज सलग्न हैं। अतः उक्त भूमि हनुमान को पेतृक संपति के रूप में मिली हो, ऐसा दस्तावेजों व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता हैं। हनुमान जो कर्ता खानदान था, उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 10.03.2008 व 12.03.2008 को करवाकर बेचान कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को शून्य घोषित करवाने हेतु वादी ने दो मुकदमें दिनांक 08.01.2020 को माननीय सिविल न्यायालय में पेश किये हो जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज हो चुके हो। प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी का बेचान 2008 मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है। उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सम्मान अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर चस्पा नही होती है जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा RRD 1984 पेज न0 873 श्री रोडा बनाम श्री जेता के प्रकरण में प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है जिसमे माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया हैं कि हिन्दु परिवार के कर्ता द्वारा करवाई गई रजिस्ट्रड सेल डीड वोइड नही है बल्कि वोइडेबल हैं। उक्त सेल डीड को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये बिना खातेदारी घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। चूंकि उक्त रजिस्ट्रड विक्रय पत्रों को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता हैं। जिसका क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। अतः प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है।

इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

18/09/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)